सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी

(क)–अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्ध यह जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुच को सुकर बनाया जा सके।

(ख) इस अधिनियम के अधिनियम से एक सौ बीस दिन के भीतर।

(I)	अपने संगठन की विशिष्टियों ,कर्तव्य और कर्तव्य।	जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय , भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्वाहन एवं निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करते मतदाता सूची के बनाने तथा लोकसभा, विधानसभा विधान परिषद, शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के निर्वाचन से संबंधित कार्य सम्पादित करता है।
(II)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य।	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के अर्न्तगत् निहित है। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यो का अनुश्रवण दिय गये निर्देशों के अर्न्तगत् किया जाता है।
(III)	विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अर्न्तगत् कार्यावाही की जाती है। जिले के जिलाधिकारी पदेन रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते है जिनके द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते है जिनके द्वारा अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत समस्त उप जिला अधिकारी एवं तहसीलदार विभिन्न कार्यक्रमों (यथा निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण, फोटो पहचान पत्र तैयार करने एवं विभिन्न निर्वाचनों को सम्पन्न कराने) का अनुश्रवण करते है और जिला निर्वाचन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 को यथा आवश्यकतानुसार रिपोर्ट भेजते हैं।
(iv)	अपने कृतव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्व रूप से निस्तारित करते है।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम विनियम अनुदेश,	निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के सबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये नियम अनुदेश एवं निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है।

	निर्देशिका और अभिलेख।	
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके क्षरा धारित या उसके नियत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण।	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका भाग–1 व 2– रिटर्निग आफिसर के लिए हस्तपुस्तिका आदि का विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेवसाइट **www.eci.gov.in** पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अर्न्तगत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो में जन–साधारण का सहयोग/परामर्श किये जाने का प्राविधान है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत् तैयार की जाने वाली निर्वाचन नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य मे पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जनता का सहयोग लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डो , परिषदों , समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो परषिदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकं जनता के लिए खुली होगीं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता ही पहुचं होगी विवरण।	शून्य
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	जिला निर्वाचन कार्यालय, हरदोई में कार्यालय अधिकारी/ कर्मचारियों की निर्देशिका विवरण निम्नवत् है–

अधिकरी का नाम	पदनाम	दूरभाष
1–श्रीमती शुभ्रा सक्सेना	जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी	9454417556
2–डॉ0 विपिन कुमार मिश्र	अपर जिलाधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी	9454417627
3–श्री श्यामलाल	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	05852–234407
4–श्री शिवराम	वरिष्ठ सहायक	05852–234407
5–श्री पंकज सिंह	वरिष्ठ सहायक	05852–234407
6–श्री विजय शंकर पाल	वरिष्ठ सहायक	05852–234407
7–श्री सुभाष चन्द्र राठौर	कनिष्ठ सहायक	05852–234407

(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है के उसके विनियमों में यथाउपबन्धित हो।	–
(xi)	सभी योजनाओं प्रस्तावितो व्ययों और किए गए सवितरणो पर रिपोर्ट की विशिष्टियां प्रदर्शित करते हुए अपने प्रतयेक अभिकरण को आवंटित बजट।	निर्वाचन नामावली की तैयारी तथा छपाई , मतदाता फोटो पहचान पत्र और समय समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है। यह धन आयोजनेत्तर पक्ष से प्राप्त होता है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों	इस कार्यालय से किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्यिन नही किया जाता है, जिसमें फायदाग्राहियों

	के ब्योरे सम्मिलित है।	के ब्यौरे सम्मिलित हों।
(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राधिकर्ताओं की विशिष्टियां।	शून्य
(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट **www.eci.gov.in** पर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उ0प्र0 की वेबसाइट **www.ceouttarpradesh.nic.in** तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के संदर्भ में जनपद–हरदोई की वेबसाइट **hardoi.nic.in** मे **DEOPortal** पर उपलब्ध है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हो तो कार्यकरण घण्टें सम्मिलित हैं,	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई (कार्य दिवस में प्रातः 10:00बजे से सायं 05:00 बजे तक)
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, और अन्य विशिष्टियां।	जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम , पदनाम की विशिष्टयॉ (तालिका–1) में संलग्न है।
		जिला निर्वाचन अधिकारी हरदोई से सूचना प्राप्त करने हेतु सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरदोई/जन सूचना अधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर वॉछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क किया जा सकता है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए,	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथासमय अपडेट किया जाता रहा जायेगा।

17/10/17

(श्यामलाल)
जनसूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरदोई।

RTI-2017

तालिका–1

क्र0सं0	विभाग / कार्यालय का नाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पता	दूरभाष	जनसूचना अधिकारी का नाम पदनाम व पता	दूरभाष
1	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई	श्रीमती शुभ्रा सक्सेना, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई। मिलने का समय–कार्यालय समय से सुविधानुसार	9454417556	श्री श्यामलाल सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई। मिलने का समय–कार्यालय समय से सुविधानुसार	9454418068

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय का पता

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

7 / 7 ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,

लखनऊ

ADEO